**प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 12.03.2025**

**क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अन्तर्राज्यीय पारदी गैंग (मध्यप्रदेश) का 01 शातिर वाँछित / 50 हजार रूपये का ईनामी अपराधी गिरफ्तार**

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा दिनाँक-11/03/02025 को अन्तर्राज्यीय पारदी गिरोह के थाना लोनी बॉर्डर से वाँछित शातिर अभियुक्त चरण सिंह पारदी को मूवी मैजिक रोड थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की गयी है। जिसकी **गिरफ्तारी पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा दिनाँक-18/05/2024 को 50,000 रूपये का नगद पुरूस्कार घोषित** किया गया था।

दिनांकः 10/01/2024 को सोनू वर्मा पुत्र हरदुआरी लाल निवासी उत्तराँचल कालोनी की बन्द रेलवे फाटक राम विहार मार्केट बेहटा हाजिपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद स्थित सोने-चाँदी के आभूषणों की दुकान का रात्रि मे शटर तोडकर अज्ञात बदमाशों द्वारा सोने व चाँदी के आभूषण आदि चोरी कर लिये गये थे। क्राइम ब्रान्च व थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनाँक- 31/01/24 को उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए पारदी गैंग के 10 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड गिरफ्तार किया गया था जिनके कब्जे से उपरोक्त चोरी का काफी माल बरामद हुआ था तथा उक्त चोरी में ही पारदी गिरोह के वाँछित / 50-50 हजार रूपये के तीन अन्य पुरूस्कार घोषित अभियुक्तों को क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है उक्त अभियोग में शातिर अपराधी चरण सिंह पारदी वाँछित था।

**पूछताछ का विवरण-**

पूछताछ पर अभियुक्त चरण सिंह पारदी ने बताया कि वह अनपढ है तथा आदिवासी पारदी जनजाति मध्यप्रदेश का रहने वाला है। चरण सिंह पारदी तथा उसके अन्य साथी गैंग बनाकर भारत के विभिन्न राज्यों में घूम-घूम कर चोरी/लूट/डकैती आदि की घटनाऐं करते है। जिस शहर में इन लोगो को घटना कारित करनी होती है पहले ये लोग वहां जाकर गली-गली बाजारों / मोहल्लो में खिलौने / गुलदस्ते आदि की फेरी लगाने का काम करते है। फेरी करते हुए इस गिरोह के सदस्य यह चिन्हित कर लेते है कि किस मकान या दुकान में आसानी से चोरी की घटना कर सकते है चिन्हित करने के बाद ये अपने अन्य साथियो को बुला लेते है और आधी रात के बाद इस गैंग के लोग असलहे, सरिये, आला नकब डन्डे आदि लेकर रैकी किये हुए दुकान / मकान से कुछ दूर रूक जाते है फिर गिरोह के कुछ साथी पहले एक बार और जाकर मौके पर देखकर आते है कि पुलिस या अन्य कोई बाधा तो नही है रास्ता साफ देखकर इसके गिरोह के लोग एक साथ जाकर दुकान / मकान का शटर या दरवाजा तोडकर अन्दर घुस जाते है। इसके गिरोह के कुछ साथी दुकानों / घरों के बाहर रहते है और डंडा और गुलेल लेकर जो कुत्ते आदि भौकते है उन्हे मारकर भगा देते है और बाहर से नजर रखते है। चोरी के दौरान यदि कोई व्यक्ति आ जाता है या विरोध करता है तो उसको इनके पास मौजूद असलहा दिखा कर डराकर व उनके साथ मारपीट कर चुप करा देते है और जो भी कीमती सामान जैसे सोने- चाँदी के जेवरात, नकदी आदि जो कुछ कीमती सामान मिलता है लेकर भाग जाते है और उसी समय वह राज्य छोड देते है। चरण सिंह पारदी का गाँव मध्यप्रदेश राज्य के गुना जनपद में काफी अन्दर पिछडे एरिये में है। चरण सिंह पारदी ने यह भी बताया कि पारदी जनजाति के लोग घटना करने से पहले रेलवे स्टेशन/ बस स्टैण्ड के आस पास रूकते हैं और घटना करने के बाद तुरन्त ट्रेन या बस से भाग जाते हैं।

वर्ष-2024 के जनवरी माह मे यह गिरोह शाहदरा रेलवे स्टेशन के पास रूका था और वहाँ से रेल की पटरी के किनारे-किनारे पैदल-पैदल जाकर थाना लोनी बार्डर क्षेत्र मे रेलवे-लाईन के किनारे सोनू सुनार की दुकान के ताले व शटर तोडकर अन्दर घुसकर चोरी की थी जिसमें इनके गिरोह के 17 सदस्य गैंग के मुखिया परशुराम सहित गिरफ्तार किये जा चुके है। उस चोरी की घटना में चरण सिंह भी मौजूद था। चरण सिंह पारदी ने यह भी बताया कि चोरी में मिले माल को हम लोग आपस में बराबर-बराबर बाँट लिया था। क्योकिं रैकी करने वाले को 02 हिस्से मिलते है और इस दुकान की रैकी मैनें ही की थी तो मुझे 02 हिस्से मिले थे।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-**

चरण सिंह पारदी पुत्र रूस्तम पारदी निवासी हड्डी मिल थाना कोतवाली सिटी गुना जिला गुना मध्य प्रदेश मूल पता ग्राम छोटी कनेरी थाना धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश हाल पता मौहल्ला बूढे बालाजी थाना कोतवाली सिटी गुना जिला गुना मधय प्रदेश उम्र करीब- 23 वर्ष

**आपराधिक इतिहासः-**

अभियक्त चरण सिंह पारदी के विरूद्ध गाजियाबाद में 01 अभियोग पंजीकृत है।

**गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-**

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

**थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

दिनांक 12.01.2025 को वादिया द्वारा थाना अंकुर विहार पर एक लिखित तहरीर दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 14 वर्ष का घर से लापता हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। दिनांक 08.03.2025 को पीडिता को पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया तथा पीडिता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 65(1)/115(2) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त अमित पुत्र लालाराम निवासी इलायचीपुर मोड रामपार्क थाना ट्रोनिकी सिटी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम गोमत थाना खैर जिला अलीगढ, उम्र करीब 19 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

दिनांक 11.03.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अमित पुत्र लालाराम निवासी इलायचीपुर मोड रामपार्क थाना ट्रोनिकी सिटी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम गोमत थाना खैर जिला अलीगढ, उम्र करीब 19 वर्ष को सभापुर अंडरपास के पास थाना अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि पीडिता और मैं एक ही मौहल्ले में रहते थे और हम करीब 4 -5 महीनों से एक दूसरे को जानते थे। मैं पीडिता को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर चला गया था तथा उसी दौरान मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये थे।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता** –

अमित पुत्र लालाराम निवासी इलायचीपुर मोड रामपार्क थाना ट्रोनिकी सिटी गाजियाबाद, मूल निवासी ग्राम गोमत थाना खैर जिला अलीगढ, उम्र करीब 19 वर्ष।

**पंजीकृत अभियोग /आपराधिक इतिहास -**

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली टीम** –

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

**थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 35 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद।**

आज दिनांक 12.03.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ अभियुक्त मिन्टू पुत्र प्रकाश निवासी खरखड़ी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 29 वर्ष को चौकी क्षेत्र अशोक विहार निठौरा अन्डर पास लोनी से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 35 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर आबकारी अधिनियम की धारा 60(1) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं चोरी-छिपे देशी शराब के पव्वे खरीद कर लाता हूँ और मुनाफा कमाने के लिये आते-जाते लोगों को बेच देता हूँ तथा इससे जो रूपये मिलते हैं उन्हें अपने शौक में खर्च कर देता हूँ। मैं ये अवैध शराब बेचने के लिए ले जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

मिन्टू पुत्र प्रकाश निवासी खरखड़ी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 29 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त अवैध देशी शराब बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**बरामदगी का विवरणः-**

35 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

थाना लोनी पुलिस टीम

**थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा नाली के पानी की निकासी को लेकर आपस में मारपीट, पथराव एवं फायरिंग करने वाले 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।**

दिनांक 11.03.2025 को थाना विजयनगर क्षेत्र नूरानी मस्जिद मिर्जापुर में 02 पक्ष जिसमें प्रथम पक्ष के 1. असलम पुत्र फतेह मोहम्मद 2. बबलू चौधरी उर्फ इसरार पुत्र फतेह मोहम्मद 3. कलाम उर्फ राजा पुत्र फिदा हुसैन 4. असद पुत्र उस्मान 5. अकरम पुत्र असलम 6. मोहम्मद तारिफ पुत्र फतेह मोहम्मद 7. अताह मोहम्मद पुत्र हाजी मोवीन 8. साजिद पुत्र समसू 9. हप्पू पुत्र अखलाख 10. जाहिद पुत्र जुल्फी 11. साकिब पुत्र जुल्फी 12. राजा पुत्र अताह मोहम्मद 13. आमिर उर्फ अमीर पुत्र हाजी मोहम्मद 14. इसान पुत्र मोहम्मद रफी समस्त निवासीगण मिर्जापुर सैक्टर 12 प्रतापविहार थाना विजयनगर गाजियाबाद 15. राजा पुत्र महबूब नि0 सूरजपुर थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर व द्वितीय पक्ष के 1.अलीजान पुत्र हमीद 2. जाहिद पुत्र हमीद 3 शोऐब पुत्र साहिद 4 शाहरुख उर्फ कल्लू पुत्र यासीन 5 शाहिद पुत्र हमीद 6 पुन्नी उर्फ शाहरूख पुत्र फारुख 7. शौराज पुत्र जाहिद 8. सादाब पुत्र कालू उर्फ लियाकत 9. परवेज पुत्र शाहिद 10. शौराव पुत्र शाहिद 11 मलिया पुत्र हामिद 12. ताहिर पुत्र इसाक 13. जमीर अहमद पुत्र जनाब अली 14. दानिश पुत्र राजू उर्फ रियाज समस्त निवासीगण मिर्जापुर सैक्टर 12 प्रतापविहार थाना विजयनगर गाजियाबाद 15. हैप्पी यादव उर्फ केतन पुत्र कैलाशचन्द्र नि0 जी 253 सैक्टर 11 प्रतापविहार थाना विजयनगर गाजियाबाद के मध्य निर्माणाधीन नाली के पानी की निकासी को लेकर विवाद हो गया जिसमें दोनों पक्षो के मध्य फायरिंग होने लगी सूचना पाकर जब हम पुलिस पार्टी वाले मौके पर पहुंचे तथा दोनों पक्षो को समझाने का प्रयास किया गया। लेकिन दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर लाठी डन्डो एवं ईट पत्थरों से हमला करते रहे । उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में तत्काल थाना विजयनगर पर मु0अ0स0 145/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/125/125(b)/132/109/352/351(2) BNS व धारा 7 आराधिक कानून (संसोधन) अधिनियम 1932 पंजीकृत किया गया। जिसमें मौके पर ही अभियुक्त 1. असलम पुत्र फतेह मोहम्मद 2. साजिद पुत्र समसू 3. बबलू उर्फ इसरार पुत्र फतेह मोहम्मद 4. इसान पुत्र मोहम्मद रफी 5. ताहिर पुत्र इसाक 6. जमीर अहमद पुत्र जनाब अली 7. दानिश पुत्र राजू उर्फ रियाज 8. जिशान पुत्र ताहिर निवासीगण मिर्जापुर थाना विजयनगर गाजियाबाद 9. हैप्पी यादव उर्फ केतन पुत्र कैलाशचन्द्र निवासी जी 253 सैक्टर 11 प्रतापविहार थाना विजयनगर गाजियाबाद 10. राजा पुत्र महबूब नि0 सूरजपुर थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर 11. अलीजान पुत्र हमीद को एक तमंचा 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-**

1. असलम पुत्र फतेह मोहम्मद निवासी नूरानी मस्जिद के पास मिर्जापुर थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 59 वर्ष।
2. साजिद पुत्र समसू निवासी नूरानी मस्जिद के पास मिर्जापुर थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 45 वर्ष ।
3. बबलू उर्फ इसरार पुत्र फतेह मोहम्मद निवासी नूरानी मस्जिद के पास मिर्जापुर थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 48 वर्ष।
4. इसान पुत्र मोहम्मद रफी निवासी नूरानी मस्जिद के पास मिर्जापुर थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष ।
5. ताहिर पुत्र इसाक निवासी नूरानी मस्जिद के पास मिर्जापुर थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 50 वर्ष।
6. जमीर अहमद पुत्र जनाब अली निवासी नूरानी मस्जिद के पास मिर्जापुर थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 49 वर्ष।
7. दानिश पुत्र राजू उर्फ रियाज निवासी नूरानी मस्जिद के पास मिर्जापुर थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष।
8. जिशान पुत्र ताहिर निवासी नूरानी मस्जिद के पास मिर्जापुर प्रतापविहार थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।
9. हैप्पी यादव उर्फ केतन पुत्र कैलाशचन्द्र निवासी जी 253 सैक्टर 11 प्रतापविहार थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष।
10. राजा पुत्र महबूब निवासी सूरजपुर थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर उम्र 25 वर्ष।
11. अलीजान पुत्र हमीद निवासी नूरानी मस्जिद के पास मिर्जापुर प्रतापविहार थाना विजयनगर गाजियाबाद 44 वर्ष ।

**बरामदगी का विवरण:-**

1. एक तमंचा 315 बोर नाजायज
2. एक कट्टे में ईटा , पत्थर एवं डंडे
3. दो खोखा कारतूस 315 बोर

**गिरफ्तारी करने वाली टीमः –**

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्रनेट गाजियाबाद।

**थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर महिला चोर को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुए 01 कगंन पीली धातू व 09 टुकड़े टूटे हुए कंगन के पीली धातु तथा एक चैन पीली धातू बरामद।**

दिनांक 11-03-25 को वादिया श्रीमती तनुश्री कपूर पत्नी वैभव आनंद निवासी Q 805 वीवीआईपी ऐड्रैस्स राजनगर एक्स0 थाना नन्दग्राम गाजियाबाद ने सूचना दी मेरी नौकरानी मेरी माता जी को अकेले देखकर, कुछ खिलाकर उनके हाथ के 4 सोने के कंगन व सोने की चैन चोरी कर फरार हो गयी है, उक्त सूचना पर तत्काला थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही का विवरण**- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमों का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 12-03-25 को मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान महिला अभियुक्त को ब्रेवहार्ट सोसायटी को जाने वाले सर्विस रोड के पास से मय चोरी किये सम्पूर्ण सामान सहित गिरफ्तार किया गया, अभियुक्ता के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**अभियुक्ता का नाम व पता** –

0रोशनी पत्नी श्री अश्वनी कुमार पुत्री रामनिवास निवासी ई- 572 नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।

**पूछताछ का विवरण**- गिरफ्तार कि गयी अभियुक्ता ने बताया कि मेरा पति ड्राईवरी करता है, तथा नशे का आदि है घर पर पैसे नही देता है। मुझे पैसो की जरुरत थी, दिनांक 10-3-25 को मालिकन की माता जी घर पर अकेली थी, जो काफी वृद्ध थी। मेरे मन में लालच आ गया और मैने यह चोरी कर ली।

**बरामदगी का विवरण -**

(1) 01 कगंन पीली धातू

(2) 09 टुकडे टूटे हुए कंगन के पीली धातु

(3) एक चैन पीली धातू

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

**थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा मोबाइल छीनकर कर फोन-पे से पैसे चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित 3370/- रुपये बरामद।**

दिनांक 03.03.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात द्वारा वादिया का मोबाइल फोन ले जाना तथा वादिया के मोबाइल से फोन-पे का प्रयोग कर 38,000 रुपये चोरी कर लेना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 11.03.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र गुलाव वाटिका से उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुये प्रकाश में आये अभियुक्त मन्नू पुत्र श्याम सुन्दर निवासी डी 238 इंदिरापुरी लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष को धारा 303(2)/304/317(2) बीएनएस के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। कब्जे से उपरोक्त घटना से सम्बन्धित कुल 3370/- रुपये बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने कुछ दिन पहले इन्द्रापुरी मैन रोड से एक मोबाइल छीना था जिसका पिन काफी सरल था एवं उसका यूपीआई पिन भी सेम था। मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैंने उस मोबाइल के फोन-पे एप की मदद से 36-37 हजार रुपये अपने खाते में ट्रान्सफर कर लिये थे। जिसमें से कुल 3370/- रुपये बचे हैं बाकी पैसे मैंने खर्च कर दिये तथा फोन को तोडकर फेंक दिया था।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–**

मन्नू पुत्र श्याम सुन्दर निवासी डी 238 इंदिरापुरी लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**बरामदगी का विवरण-**

घटना से संबंधित 3370/- रुपये बरामद ।

**गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –**

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

**थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा टप्पेबाजी करने वाली 02 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 सफेद धातु का सिक्का व 1,000/- रुपये बरामद।**

**कार्यवाही का विवरण:-** दिनांक 06.03.2025 को थाना कौशाम्बी पर वादिया की लिखित तहरीर पर अज्ञात दो महिलाओं के द्वारा ऑटो में वादिया के पर्स से 7,000/-रु0, 01 चाँदी का सिक्का व HDFC का Food Card चोरी कर लेने के संबंध में धारा 305 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 12.03.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर कौशाम्बी मैट्रो स्टेशन के पास से टप्पेबाजी करने वाली 02

अभियुक्ताओं को चोरी का 01 सफेद धातु का सिक्का व 1,000/- रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्ताओं के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 305 बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पुछताछ का विवरणः-** गिरफ्तार दोनों अभियुक्ताओं से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए दोनों अभियुक्ता ग्राम निरावली थाना छायसा फरीदाबाद की निवासी है जोकि घटना करने यहाँ आती है और घटना करने के बाद वापस चली जाती है। दोनों अभियुक्ता एक साथ मिलकर ऑटो, रिक्शा व बस आदि में बैठी सवारियों के रखे सामान को सवारियों की नजर से बचाकर चोरी कर लेती हैं। गिरफ्तार अभियुक्ताओं के साथ एक बच्ची है जिसकी उम्र करीब 8 वर्ष है और बताया कि हम करीब 5-6 दिन पहले अंसल प्लाजा वैशाली आये थे तभी 01 अभियुक्ता ने कहा कि वह बच्ची मेरी भतीजी है जिसका नाम गौरी है। हम सब अंसल प्लाजा वैशाली से एक ऑटो रिक्शा में बैठे, जिसमें एक महिला बैठी थी और उसके पर्स से हमने 7,000/-रु0, 01 चाँदी का सिक्का व एक कार्ड चुराया था। 7,000/- रुपये दोनों अभियुक्ताओं ने आपस में बराबर – बराबर बाँट लिये थे तथा जो सिक्का बरामद हुआ है उसे ये दोनों आज बेचने की फिराक में थी। इनके अन्य साथियों की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्ताओं का नाम व पताः**

- अभियुक्ता 02

**बरामदगी का विवरणः-**

चोरी का 01सफेद धातु का सिक्का व 1,000-/ रुपये बरामद।

**गिरफ्तार अभियुक्ताओं का आपराधिक इतिहासः-**

- गिरफ्तार दोनों अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर टप्पेबाजी कर चोरी करने के सम्बन्ध में अभियोग 01 पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्ता उपरोक्त में से अभियुक्ता 01के विरुद्ध दिल्ली एनसीआर में चोरी से सम्बन्धित अभियोग व 04 जिला बुलन्दशहर में एनडीपीएस से सम्बन्धित अभियोग 01 पंजीकृत है।
- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम

**थाना सिहानी गेट पुलिस टीम द्वारा पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लाए गए पेट्रोल पम्प कैश लूट के अभियुक्तों की निशादेही पर 03 लाख रूपये बरामद।**

दिनांक 13.02.25 को मेरठ रोड स्थित पेट्रोल पम्प से कैश ले जाते समय स्कूटी सवार व्यक्तियों से स्कूटी सहित 10 लाख 70 हजार रूपये कैश लूटे थे। सिहानीगेट पुलिस द्वारा उक्त घटना में प्रकाश में आए अभियुक्तगण में से एक अभियुक्त नावेद को दिनांक 25.02.25 को गिरफ्तार कर अभियुक्त नावेद के हिस्से में आए 02 लाख 50 हजार रूपयों में से 02 लाख रूपयो व स्कूटी को बरामद कर अभियुक्त को जेल भेजा गया था। जिसमें अभियुक्त नावेद ने पूछताछ पर घटना में अपने साथी इकराम, गुलफाम व बिजेन्द्र के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके उक्त घटना को कारित करना व संलिप्त होना स्वीकार किया था और अपने अन्य साथियों को अन्य किसी घटना में हापुड़ व मेरठ में जेल में बन्द होना बताया। प्रकाश में आए अभियुक्तगण इकराम, गुलफाम व बिजेन्द्र को बाउम्मीद बरामदगी हेतु दिनांक 12.03.25 को थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर मेरठ व हापुड़ से लाया गया। जिनकी निशादेही पर दिनांक 13.02.25 को मेरठ रोड स्थित शुभम ऑटोमोबाइल (पेट्रोल पम्प) कैश लूट के 03 लाख रूपयों को खुर्जा रोड सरकारी आम का बाग बुलन्दशहर से बरामद किया गया।

**पूछताछ का विवरणः-**

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को बाउम्मीद बरामदगी पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि दिनांक 13.02.25 को हम लोगो ने मेरठ रोड स्थित पेट्रोल पम्प से कैश ले जाते समय स्कूटी सवार व्यक्तियों से स्कूटी सहित 10 लाख 70 हजार रूपये कैश लूटे थे। लूट करने के बाद हम लोगों ने स्कूटी की डिग्गी का लाक तोडकर उसमें रखे 10 लाख 70 हजार रुपये निकालकर स्कूटी को बडे से ग्राउण्ड में झाडियों में छिपाकर छोड दिया तथा हम लोग योजना के अनुसार खुर्जा रोड सरकारी आम के बाग में जाकर शाम को मिले जहाँ हम चारों लोगों ने लूटे गए पैसों में से 70 हजार रूपये नए असलहे खरीदने हेतु अलग निकाल लिए थे और बाकी 10 लाख रूपयों को हम लोगो ने आपस में बांट लिए थे। हम चारों के हिस्से में 02 लाख 50 हजार रुपये आए थे। हम तीनों ने उन पैसों में से 01 लाख 50 रूपये प्रति व्यक्ति निकाल कर बाकी बचे 01 – 01 लाख रूपये सफेद पालीथीन में रख कर उसी आम के बाग में एक दूसरे से छिपाते हुए गड्ढा खोदकर आम के पेड़ो के नीचे दबा दिए थे। जो पैसे हम उस दिन ले गए थे वह आम के बाग की धुलाई करने व कर्जदारों का कर्जा देने में खर्च हो गए हैं। बाकी शेष बचे 03 लाख रूपये बाउम्मीद बरामदगी अभियुक्तों की निशादेही पर आज दिनांक 12.03.25 को खुर्जा रोड सरकारी आम के बाग बुलन्दशहर से बरामद हुए हैं।

**नाम पता अभियुक्त**

1.इकराम पुत्र अकबर, नि0 ग्राम सैमली, थाना कोतवाली देहात, बु0शहर, हाल पता नई बस्ती एक मीनार मस्जिद के पास कस्बा व थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर

2.गुलफाम पुत्र गुल्लन खां, नि0 बहलीमपुरा, थाना कोतवाली नगर, बु0शहर

3.बिजेन्द्र पुत्र छज्जू सिंह, नि0 ऊटरावली थाना कोतवाली देहात, बु0शहर

**बरामदी का विवरण**

03 लाख रूपये नकद

**आपराधिक इतिहास**

अभियुक्तो के विरूद्ध लूट के 03 अभियोग व आर्म्स एक्ट के 02 अभियोग पंजीकृत है।

**थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मोबाइल फोन चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 03 मोबाइल फोन बरामद।**

**कार्यवाही का विवरणः-** दिनांक 11.03.2025 को थाना कौशाम्बी पर वादी गोलू पुत्र महेश की तहरीर पर अज्ञात चोर द्वारा वादी व वादी के दोस्त के 02 मोबाइल फोन चोरी कर ले जाने के संबंध में धारा 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 12.03.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मोबाइल फोन चोरी करने वाला 01 अभियुक्त अनमोल पुत्र राजेन्द्र निवासी वाल्मीकि चौक के पास तुगलकाबाद दिल्ली मूलपता ग्राम सिकन्दरपुर थाना बैनीगंज जनपद हरदोई उम्र करीब 21 वर्ष आनन्द बिहार बॉर्डर के पास खाली पडी खण्डर बिल्डिंग के सामने से चोरी के 03 मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अनमोल पुत्र राजेन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 305 बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरणः-** गिरफ्तार अभियुक्त अनमोल पुत्र राजेन्द्र उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि बरामद मोबाइल में से 02 ओप्पो मोबाइल फोन अभियुक्त उपरोक्त द्वारा ग्राम भोवापुर कौशाम्बी से बीती रात में एक घर के दो कमरों से चोरी किये थे और वन प्लस कम्पनी का मोबाइल फोन अभियुक्त उपरोक्त द्वारा कुछ महीने पहले यशोदा अस्पताल के पीछे से एक ढाबे से चोरी किया था, उसी के साथ मैंने कुछ सामान, एक मोबाइल कम्पनी वन प्लस व कुछ पैसे चोरी किये थे जो पैसे मैंने अपने शौक मौज में खर्च कर दिए। जिनमें से एक मोबाइल फोन मैने करीब एक महीने पहले राह चलते व्यक्ति को बेच दिया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

अनमोल पुत्र राजेन्द्र निवासी वाल्मीकि चौक के पास तुगलकाबाद दिल्ली मूलपता ग्राम सिकन्दरपुर थाना बैनीगंज जनपद हरदोई उम्र करीब 21 वर्ष।

**बरामदगी का विवरणः-**

चोरी के मोबा 03इल फोन बरामद।

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-**

गिरफ्तार अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।